207

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष - एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1522-एक/2015 - विरूद्ध - आदेश दिनांक - 27-5-2015 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर - प्रकरण कमांक 406-अ-27/2012-13 अपील

1- हरभजन सिंह पुत्र राजाराम राय
2- दीपक पुत्र सुरेश कुमार राय
दोनों निवासी ग्राम सेमीरा झिला
तहसील राहतगढ़ जिला सागर ----आवेदकगण

विरूद्ध

1- श्रीमती लीलावाई पत्नि नन्हे उर्फ रामनारायण राय
निवासी 95/1 बियावानी मेन रोड इन्दौर
तहसील व जिला इन्दौर मध्य प्रदेश
2- कैलाश पुत्र राजाराम राय
निवासी ग्राम सेमरा झिला तहसील राहतगढ़
जिला सागर मध्य प्रदेश --अनावेदकगण

(आवदेकगण के अभिभाषक श्री अजय श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 30 - 8 -2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 406-अ-27/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-5-2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम सेमरा झिला स्थित

भूमि सर्वे कमांक 16 एंव 28 कुल किता 2 कुल रकबा 10.46 हैक्टर का बटवारा नायव तहसीलदार राहतगढ़ ने आदेश दिनॉक 11-6-1990 से किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ के समक्ष दिनांक 31-7-2012 को अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ ने प्रकरण कमांक 41 अ-27/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-1-2013 से अपील अवधि-वाह्य पाकर निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील कमांक 406-अ-27/2012-13 प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने आदेश दिनांक 27-5-2015 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की । इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक कमांक-1 पेशी 28-6-16 को स्वयं् उपस्थित रहीं, किन्तु तर्क हेतु नियत दिनांक 26-7-16 को अनुपस्थित हो गयीं। अनावेदक कमांक-2 को बार बार सूचना जारी की गई। सूचना के सम्यक निर्वहन के अभाव में उन्हें पंजीकृत डाक से भी सूचना भेजी गई। अनुपस्थिति के कारण दोनों अनावेदकों के विरूद्ध एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि नायव तहसीलदार के समक्ष महिला लीलावाई, कैलाश, हरभजन ने बटवारे का संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया है

एंव पटवारी व्दारा पंजी में प्रविष्टि करते समय अंकित किया है कि :-

- खाते में यह भूमि लीलावती जोजे नन्हेलाल के नाम से अंकित है। लीलावती कैलास प्रसाद, हरभजन ने आपसी बटवारा नामा प्रस्तुत किया है कि उक्त भूमि हम दो भाईयों एंव बहिन लीलावती की सामलाती भूमि है जिसका आपसी में बटवारा हो चुका है मुताविक बटवारे हिस्सा इस प्रकार है *

उक्त पर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने निष्कर्ष निकाला है कि भूमि केवल लीलावती के नाम दर्ज है इसलिये कैलास प्रसाद, हरभजन के हित में त्रृटिपूर्ण बटवारा हुआ है **AIR 1978** इलाहावाद 157, **AIR 1973** सु0को0 983 में व्यवस्था दी गई है कि संयुक्त परिवार के एक ही सदस्य के नाम संपत्ति - संयुक्त परिवार के सदस्यों के आर्थिक सहयोग से यदि संयुक्त परिवार के किसी एक सदस्य के नाम से भूमिधारी जमीन पंजीबद्व विकीनामा के व्दारा खरीदी जाती है तो इससे परिवार के अन्य सदस्यों का अधिकार समाप्त नहीं होता है। विचाराधीन प्रकरण में बटवारा आवेदन में उल्लेखित अनुसार भले ही भूमि महिला लीलावती के नाम दर्ज है भूमि के विभाजन का आवेदन संयुक्त परिवार की भूमि होने के आधार पर दिया गया है बटवारा पंजी पर सहमति स्वरूप लीलावती , कैलास प्रसाद, हरभजन के हस्ताक्षर है एंव पंजी में यह अंकन है कि उक्त भूमि हम दो भाईयों एंव बहिन लीलावती की सामलाती भूमि है जिसका आपसी में बटवारा हो चुका है । नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 11-6-1990 से पूर्व में हुये घरेलू बटवारे का अमल

मात्र अभिलेख में किया है। यदि सहमति से पूर्व में हुये घरेलू बटवारे पर किसी पक्षकार को आपत्ति है तब वह सिविल कोर्ट से स्वयं् का स्वत्व प्रमाणित कराने के लिये स्वतंत्र है, परन्तु अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने अपील कमांक 406-अ-27/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 27-5-2015 में वास्तविकता के विपरीत अर्थ निकाल कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये पक्षकारों के बीच राजस्व न्यायालयों में व्यर्थ मुकदमेवाजी बढ़ाई है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 11-6-1990 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ के समक्ष दिनांक 31-7-2012 को अर्थात 22 वर्ष 1 माह से अधिक अवधि वाद अपील प्रस्तुत हुई है जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 31-1-2013 से अवधि-वाह्य पाकर निरस्त किया है और अपर आयुक्त व्दारा अपील कमांक 406-अ-27/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 27-5-2015 से 22 वर्ष 1 माह के विलम्ब को इस आधार पर क्षमा करते हुये गुणदोष पर आदेश पारित किया है कि अधिकारिता रहित आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। मूल मामला नायव तहसील न्यायालय का है एंव मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 विभागीय परीक्षा उर्तीण नायव तहसीलदार को इस धारा के अधीन आदेश पारित करने हेतु सशक्त करती है, इसके वाद भी नायव तहसीलदार के आदेश को अधिकारिता-विहीन ठहराना अपर आयुक्त सागर संभाग का विनिश्चय नियम-विरूद्ध है। अपर

आयुक्त सागर संभाग व्दारा अपील कमांक 406-अ-27/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 27-5-2015 में यह भी बिसंगति पाई गई है कि उन्होनें अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को म्याद के बिन्दु तक न सुनते हुये अपील का निराकरण Mariet पर किया है।

1. मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 47 सहपठित 44- अपील में समयावधि का बिन्दु निहित - वरिष्ठ न्यायालय व्दारा अपील स्वीकार - मामला गुणदोष पर निराकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जायेगा।
2. बबीता रानी बनाम भगवती वाई 2006(2) म0प्र0लॉ0ज0 45 (म0प्र0) में व्यवस्था दी गई है कि अपील फाइल करने की अवधि का अवसान हो गया था। इस अवधि के अवसान होने के आधार पर प्रत्यर्थी के पक्ष में पूर्व में ही मूल्यवान अधिकार उत्पन्न हो गया था और ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय का यह अभिमत रहा है कि इस मूल्यवान अधिकार में आधारहीन अथवा अस्पष्ट आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

विचार प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 22 वर्ष 01 माह के विलम्ब से अपील प्रस्तुत हुई थी अर्थात 22 वर्ष पूर्व हुये बटवारे अनुसार पक्षकार बटवारे में प्राप्त हिस्सों की भूमि पर काविज होकर खेती करते आ रहे हैं अपर आयुक्त सागर संभाग ने अपील कमांक 406-अ-27/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 27-5-2015 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में अनुचित हस्तक्षेप किया है जिसके कारण अपर आयुक्त

सागर संभाग का आदेश दिनांक 27-5-15 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त सागर संभाग व्दारा कमांक 406-अ-27/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-5-2015 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 41 अ-27/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-1-2013 तथा नायव तहसीलदार राहतगढ़ व्दारा पारित आदेश दिनॉक 11-6-1990 उचित पाये जाने से यथावत् रखे जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर